न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/57/2016

उनवान

1. रमजान पुत्र रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. जाकीर पुत्र रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. जमीला बानु पुत्री रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र पेमा गाडरी निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती भगवानी पुत्री पेमा गाडरी निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. सत्यनारायण पुत्र मांगू गाडरी नाबालिग बबिलायत दादी श्रीमती धुली पत्नि तिलोक गाडरी निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. टीना पुत्री मांगु गाडरी नाबालिग बबिलायत दादी श्रीमती धुली पत्नि तिलोक गाडरी निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. मगनीराम पुत्र पेमा गाडरी निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. रामेश्वर पुत्र पेमा गाडरी निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
7. श्रीमती गुलाबी पत्नि पेमा गाडरी निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

(कैलास [illegible] [illegible]खारा)
भू--प्रबन्ध [illegible] एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

8. बगतीराम पुत्र रामा गाडरी निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
9. तहसीलदार,सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 26/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री एस एन सोमाणी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री बी एल गुर्जर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 4.3.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 42 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की मौरूसी कृषि भूमिया स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। संवत 2010 से 2013 की जमाबंदी मु0 हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान निवासी गंगापुर मु0हि0बि0 कब्ज दर्ज थी तथा पुरानी आराजी संख्या 620/1 रकबा 134 बिस्वा आराजी संख्या 621/2 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा दर्ज थी। संवत 2033 से 2036 की जमाबंदी में आराजी संख्या 620/1 रकबा 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 621/1 रकबा 17 बिस्वा मु0हि0बि0 हाजरा का नाम हटा

(कैलाश [illegible] लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिया गया । ग्राम गंगापुर में पैमाईश हो जाने से पुरानी आराजी संख्या 620/1 रकबा 8 बिस्वा एवं पुरानी आराजी संख्या 621/1 रकबा 17 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 630/2541 रकबा 0.30 है0 बने । वर्तमान जमाबंदी में विपक्षीया हजारा बेवा रहीमबक्ष मुसलामान का नाम अंकित किर दिया गया जबकि इस नाम की कोई महिला उसके वारिसान ही जीवित नही है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षी संख्या 1 को रहन बिल कब्ज में विपक्षीया का नाम हटाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु अभी तक रहन का इन्द्राज नहीं हटाया गया । दिनांक 11.6.2015 को प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सहाडा के रहन का इन्द्राज हटाने बाबत प्रस्तुत किया परन्तु न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत कहकर टाल दिया गया । अतः प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 6730/2541 रकबा 0.30 है विपक्षीया हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान का मु0बि0क0 का हन्द्राज हटाने का आदेश प्रदान करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट!स श्रीमती हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान के विधिक वारिसान है जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है । इस कारण श्रीमती हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान के विधिक वारिसान होने की हैसियत से अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से उनके हक

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
भीलवाड़ा (राज.)

अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। रेस्पोडेण्ट्वस/विपक्षीगण निर्णय की पालना में अपीलाण्ट्स को बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण अपीलार्थीगण प्रभावित पक्षकार हैं। अतः अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कराई जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 2.11.2015 को प्रस्तुत किया कि ग्राम गंगापुर में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 8 की मौरूसी कृषि भूमि आराजी नम्बर 620/1 रकबा 13 अिबस्वा, 621/2 रकबा 127 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान निवासी गंगापुर के मु0हि0बि.0 कब्ज दर्ज थी जिसके हाल आराजी नम्बर 630/2541 रकबा 0.30 है0 बने। उक्त आराजी हाजरा बेवा रहीमबक्ष के नाम रहन बी कब्ज दर्ज थी । जिसे हटाने बाबत प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । लेकिन इन्द्राज नहीं हटाया गया। इस कारण हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान नाम की कोई महिला अथवा उसके वारिसान जीवित नहीं है । प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 3.11.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने बाबत प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर मु0ही0बी0 कब्ज का इन्द्राज हटाये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया । जबकि अपीलाण्ट्स एवं

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

श्रीमती हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

अलाबक्ष जी

रहीमबक्ष — अली मोहम्मद

रहीमबक्ष → श्रीमती हाजरा (फौत)

अली मोहम्मद → रफीकुदीन

श्रीमती खातून(फौत) | रमजान | जाकीर | जमीला बानू

6. उक्त सजरे के अनुसार श्रीमती हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान के वारिसान अपीलाण्ट्स हैं तथा वे ही उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात पर काबिज हो आराजियात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। रेस्पोडेण्ट्स को इस तथ्य की पूरी जानकारी है कि अपीलाण्ट्स श्रीमती हाजरा बेवा रहीमबक्ष के विधिक वारिस हैं तथा वे ही काबिज है फिर भी रेस्पोडेण्ट्स ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हिकया तथा मृतक हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान के खिलाफ कार्यवाही ड्रोप कराने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विधिक वारिसान की जानकारी किये बिना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। स्वयं प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में संवत 2010 से 2013 की जमाबंदी में श्रीमती हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान का नाम मु0ही0बी0 की हैसियत से होना वर्णित किया है। संवत 2010 से गणना करने पर पिछले 62 वर्षो से भी अधिका समय से श्रीमती हाजरा बेवा रहीमबक्ष का कब्जा चला आ रहा है । उनके निधन के पश्चात अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जाकाश्त

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कार्यालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
भीलवाड़ा (राज.)

चला आ रहा है उसके बावजूद रेस्पोडेण्ट्स ने अपीलार्थीगण को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी श्रीमती हाजरा बेवा रहीमबक्ष के वारिसान की जानकारी किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात श्रीमती हाजरा बेवा रहीमबक्ष के बैसियत मु0ही0बी0 दर्ज थी। वादग्रस्त आराजियात से उक्त अकन हटाये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 2.11.2015 को प्रस्तुत किया कि ग्राम गंगापुर में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगायत 8 की मौरूसी कृषि भूमि आराजी नम्बर 620/1 रकबा 13 अबिस्वा, 621/2 रकबा 127 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो हाजरा बेवा रहीमबक्ष मुसलमान निवासी गंगापुर के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

मु0हि0बि.0 कब्ज दर्ज थी जिसके हाल आराजी नम्बर 630 / 2541 रकबा 0.30 है0 बने। उक्त आराजी हाजरा बेवा रहीमबक्ष के नाम रहन बी कब्ज दर्ज थी । जिसे हटाये जाने का निवेदन किया । दौराने विचारण प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी हाजरा बेवा रहीमबक्ष की मृत्यु हो चुकी है एवं उसके कोई वारिसान नहीं है इसलिए कार्यवाही ड्रोप की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि मृतक हजारा बेवा रहीमबक्ष के वारिसान की जानकारी कराये जाने के उपरान्त निर्णय पारित करना चाहिये था। अपीलार्थीगण हाजरा बेवा रहीमबक्ष के वारिसान है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील मेमो में हाजरा बेवा रहीमबक्ष के परिवार का सजरा दर्शित किया है। चूंकि अपीलार्थीगण हाजरा बेवा रहीमबक्ष के विधिक वारिसान है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण / हाजरा बेवा रहीमबक्ष के विधिक वारिसान को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2015 को खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात, का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15/4/20 को पेश हो।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)
सत्यमेव जयते

11. निर्णय आज दिनांक 4.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

(कैलाश [illegible])
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★